96

COURT FEE ₹10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE ₹5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

15/-

:-माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. /05-06 निगरानी

R 2317-III/06

वृन्दावन पुत्र रामप्रसाद गूजर निवासी कस्बा, रेंज मुगावली तहसील मुंगावली जिला गुना वर्तमान जिला अशोक नगर (म.प्र.)

.... आवेदक

वि.

श्री के. के. द्विवेदी द्वारा आज दि. 12-12-06 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म. प्र.

1. जसवंत सिंह पुत्र रेवाराम गूजर
2. जराबाई पत्नि पन्नालाल गूजर
3. मलखान पुत्र पन्नालाल गूजर
4. लाखन पुत्र पन्नालाल गूजर
5. मेहरबान पुत्र पन्नालाल गूजर
6. द्रोपदीबाई पुत्री पन्नालाल गूजर
7. शारदाबाई पुत्री पन्नालाल गूजर
8. नीमाबाई पुत्री अमर सिंह गूजर
9. पर्वत सिंह पुत्र अमर सिंह गूजर
10. धर्म पुत्र अमर सिंह गूजर मृतक उत्तराधिकारी
    10 (1) आदर बाई पत्नि श्री धर्म गूजर
    10 (2) लक्ष्मीबाई पुत्री धर्म गूजर
    10 (3) राजकुमार पुत्र धर्म गूजर
    10 (4) हल्कीबाई पुत्री धर्म गूजर
    10 (5) पप्पू उर्फ गुड्डा पुत्र धर्म गूजर
11. कमलेश पुत्री अमर सिंह गूजर
12. कमलाबाई पुत्री अमर सिंह गूजर
13. हरीसिंह पुत्र रामप्रसाद गूजर

समस्त नि. ग्राम ... मुंगावली जिला अशोक नगर म.प्र. ..... अनावेदक

12.12.06 K.K. Dwivedi

R-2317-III/06

16-5-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालिर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 357/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कस्वा रेंज मुंगावली की भूमि सुर्वे नंबर 388/1 मिन रकबा 0.111 हैक्टर के भूमि मर्दन सिंह थे, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 13 पर आदेश दिनॉक 24-1-1994 से वारिसों का नामान्तरण किया गया। नामान्तरण आदेश दिनॉक 24-1-94 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील कमांक 26/94-95 प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 9-2-1998 से ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 57 अ-6/97-98 पंजीबद्व कर पक्षकारों की सुनवाई की एंव आदेश दिनांक 6-5-99 पारित करके वृन्दावन आदि का आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 29/98-99 में पारित आदेश दिनॉक 25-5-01 से अपील अमान्य की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर

संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 357/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 28-8-06 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों को बहस में सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह पाई गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न शासकीय अभिलेख में आनन्दीलाल, वृन्दावन, हरीराम एंव मर्दन सिंह (चार भाई) का हिस्सा 39 पैसे ग्राम कस्वा रेंज मुंगावली की भूमि सर्वे नंबर 388/1 मिन रकबा 0.111 हैक्टर हिस्सा अंकित है जबकि आवेदक के अभिभाषक आवेदक का हिस्सा 39 पैसा होना बता रहे हैं जो शासकीय अभिलेख में अंकित अनुसार वास्तविकता के विपरीत है ऐसी स्थिति में किस पक्षकार का कितना हिस्सा (स्वत्व) है राजस्व न्यायालय स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित करने हेतु सक्षम नहीं है जिसके कारण तहसीलदार मुंगावली ने आदेश दिनांक 6-5-99 से आवेदक वृन्दावन आदि का आवेदन अमान्य किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने उचित निर्णय लेना ठहराया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालिर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 357/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-8-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य